न्यायालय सहायक कलक्टर(FT),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 41/25(प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2025/157

अनवान्

1. श्री सुखलाल पिता रूपा जणवा निवासी चायलों का खेडा तहसील मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री भूरालाल पिता तोलीराम जणवा निवासी चायलों का खेडा तहसील मावली।
2. श्री गोतमलाल पिता नारायणलाल जणवा निवासी चायलों का खेडा तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री रमेश चन्द्र सांगावत,अधिवक्ता प्रार्थी।
2. श्री विजय आमेटा, अधिवक्ता विपक्षीगण।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: : निर्णय : :–

दिनांक : 05.03.2026

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं किमौजा चायलों का खेडा पटवार हल्का ईन्टाली तहसील मावली में खसरा नम्बर 4660 रकबा 0.1862 हेक्टेयर भूमि स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 में प्रार्थी के नाम खातेदारी हक से अंकित हैं।
2. यह कि उक्त वर्णित खसरा नम्बर 4660 रकबा 0.1862 हेक्टेयर भूमि प्रार्थी के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की हैं। उक्त भूमि पर प्रार्थी का एकान्तिक कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है और उक्त भूमि का प्रार्थी अपनी भूमि में काश्त कार्य कर फसले बुवाई कर रहा है एवं उत्पादन लेता चला आ रहा हैं। उक्त भूमि में विपक्षीगण का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है लेकिन उक्त भूमि के पडौस में विपक्षीगण की भूमि आ गयी है इस कारण विपक्षीगण प्रार्थी को जबरन उसकी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि से बेदखल करने पर आमादा है और इस नाजायज उद्देश्य की पूर्ति में विपक्षीगण पिछले कुछ समय से प्रार्थी को परेशान कर रहे है और प्रार्थी को उसकी वाद वर्णित भूमि का उपयोग उपभोग करने, काश्त करने में बाधा पैदा कर रहे है और प्रार्थी द्वारा मना करने पर भी नहीं मान रहे हैं। प्रार्थी ने गांव के लोगो के जरिये भी विपक्षीगण को समझाने का प्रयास किया लेकिन विपक्षीगण नहीं माने और अब प्रार्थी को उसके हक पर अधिकारों की धमकियां देने लगे कि अब तुझे इस जमीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2026.04.16 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested

काश्त नहीं करने देंगे और प्रार्थी या उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति मौके पर आयेगा तो उसे जान से खत्म कर देंगे, प्रार्थी फसल बुवाई करेगा तो खडी फसल में नुकसान पहुंचायेगें। विपक्षीगण ने दिनांक 16.11.2025 को विपक्षीगण ट्रेक्टर लेकर प्रार्थी का खेत हांकने के लिए आये तो प्रार्थी ने विपक्षीगण को ऐसा करने से मना किया तो विपक्षीगण ने प्रार्थी का खेत उनकी भूमि में मिलाने की धमकी दी और प्रार्थी के साथ लडाई झगडा किया, गाली गलोज करते हुए जान से मारने पर आमादा हुए जबकि उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। विपक्षीगण का उक्त कृत्य प्रार्थी के हक व अधिकारों पर भारी कुठाराघात करने वाला होकर यदि विपक्षीगण अपने कृत्य में सफल हो गये तो प्रार्थी जिनका जीविकोपार्जन का मुख्य जरिया कृषि ही है उनके भूखें मरने की नोबत आ जायेगी एवं प्रार्थी अपनी खरीदशुदा भूमि पर काश्त कार्य नहीं कर पायेंगे जिससे सुविधा इसी में है कि उक्त भूमि में विपक्षीगण आवे नहीं, जावे नहीं, जबरन कब्जा नहीं करे, प्रार्थी के एकान्तिक उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नहीं करें एवं प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें तथा प्रार्थी की खडी फसल को किसी प्रकार की कोई क्षति कारित नहीं करें। यह कार्य विपक्षीगण स्वयं व अपने नौकर चाकर एजेन्ट मित्र परिवारजन आदि से भी नहीं करे, न करावें की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को पाबंद किये जाने से विपक्षीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति होने वाली नहीं है। प्रार्थी वादग्रस्त भूमि के खातेदार काश्तकार होकर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस होकर सुविधा संतुलन एवं अतुलनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है जबकि प्रार्थी को इतनी अशोधनीय हानि होगी जिसका एवजाना नकदी में किसी भी सुरत में नहीं आंका जा सकेगा।

3. यह कि बिनाय प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षीगण अन्तिम बार दिनांक 16.11.2025 को पैदा हुआ जबकि विपक्षीगण ने प्रार्थी की भूमि में हकाई करने का असफल प्रसास किया एवं प्रार्थी के हक अधिकारों को चुनौती दी तब से निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया की प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व ताफैसला मूल वाद आज ही इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराया जावे कि वे प्रार्थी के खातेदारी में वर्णित भूमि में अनाधिकार प्रवेश नहीं करे, आवे नहीं, जावे नहीं, जबरन कब्जा नहीं करे, किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं करें, प्रार्थी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे, प्रार्थी की बाड पेड फसल आदि को किसी प्रकार की कोई क्षति नहीं पहुंचावे, यह कार्य वे स्वयं व अपने नौकर चाकर एजेन्ट मित्र परिवारजन आदि से भी नहीं करे, न करावें।

4. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।विपक्षी संख्या 1 से 2 द्वारा जवाब मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व रेकार्ड में प्रार्थी के नाम 4660 को सम्पूर्ण हक हिस्सा का दर्ज होना अवैध हैं। प्रार्थी को केवल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested

मात्र उक्त वादग्रस्त भूमि में नाम दर्ज होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। आराजी संख्या 4660 रकबा 0.1862 हेक्टेयर में प्रार्थी का कोई स्वामित्व एवं आधिपत्य नहीं हैं।

5. यह कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का हक व अधिकार नहीं हैं केवल मात्र राजस्व जमाबन्दी में नाम दर्ज होने के आधार पर हम विपक्षीगणों को हमारे हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने की नियत से प्रार्थी ने मिथ्या प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया। आराजी नम्बर 4660 में प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्ष 1995 एवं 1996 में संयुक्त खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अन्य खातेदारों के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज थी। तत्कालीन खातेदार लोगर पिता भगवान जी एवं गंगा बेवा भगवान जी जाति जणवा निवासी ईण्टाली के नाम पर 1/8 वें हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। दिनांक 16.10.1996 को लोगर पिता भगवान जी एवं मु. गंगा बेवा भगवान जी जणवा ने 13,000/— रूपये नकद लेकर अपनी शामलाती खातेदारी की जमीन आराजी नम्बर 4658, 4659, 4660 एवं 4661 किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से अपने 1/8 हिस्से का बिकाव जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से चतरभुज पिता नंदा जी जणवा के नाम पर निष्पादित किया था। इस तरह उक्त विक्रय पत्र से चतरभुज पिता नंदा जी जणवा के नाम निष्पादित किया था। इस तरह उक्त विक्रय पत्र के आधार पर चतरभुज पिता नंदा जी जणवा उपरोक्त आराजीयात में से करीब पोने 13 बिस्वा जमीन में स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी हो गये थे इसी तरह दिनांक 17.06.1996 को नारायण पिता गोकल जी जणवा ने उक्त वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 4658, 4659, 4660 एवं 4661 में अपना 1/8 वां हिस्सा भूरालाल पिता तोलीराम एवं कंवरी पत्नी गोतमलाल जी जणवा को 9000/— रूपये में विक्रय कर दी तब से इस विक्रय पत्र के आधार पर भूरालाल पिता तोलीराम एवं कंवरी पत्नी गोतमलाल जी जणवा पोने 13 बिस्वा भूमि के स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी हो गये है तथा कंवरी पत्नी गौतमलाल एवं भूरा पिता तोलीराम एवं चतरभुज पिता नंदा जी जणवा तीनों ही 26 बिस्वा भूमि के खातेदार हो गये थे इसी तरह कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे थे तथा कालान्तर में चतरभुज पिता नंदा जी की मृत्यु होने से उक्त भूमि चतरभुज की एक मात्र पुत्री कंवरीबाई पत्नी गोतमलाल जी जणवा के नाम पर दर्ज हुई है तथा कंवरीबाई ने अपने पिता जी से प्राप्त सम्पूर्ण भूमि को विपक्षी संख्या 2 गोतमलाल पिता नारायण जी जणवा के पक्ष में पंजीयन करवा दिया इसी तरह लोगर एवं उनकी माता द्वारा क्रयशुदा भूमि जो की वरदीबाई पत्नी तोलीराम एवं भूरालाल पिता तोलीराम जी वरदीबाई की मृत्यु के उपरान्त सम्पूर्ण जमीन विरासत से [illegible] पिता तोलीराम जी के नाम दर्ज हुई, जिस कारण उपरोक्त दोनों विक्रय पत्रों से [illegible] 26 बिस्वा भूमि का हस्तान्तरण भूरालाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested

पिता तोलीराम एवं वरदीबाई पत्नी तोलीराम एवं चतरभुज पिता नंदराम जी ने किया था वो जमीन वर्तमान में चतरभुज एवं वरदीबाई की मृत्यु होने से हम विपक्षीगण के अधिकार आधिपत्य में चली आ रही हैं।

6. यह कि प्रार्थी का हम विपक्षीगण की कब्जे काश्त की जमीन पर कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं बनता है तथा हम विपक्षीगण विक्रय पत्र की दिनांक 16.10.1996 तथा दिनांक 17.06.1995 से उक्त विक्रय पत्रों में वर्णित आराजीयात 4658, 4659, 4660, 4661 में कब्जे अनुसार स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी हो गये है तथा दोनों विक्रय पत्रों को मिला कर हम विपक्षीगणों का उक्त वादग्रस्त आराजीयात में 26 बिस्वा भूमि पर स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी हो गये है तथा प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त जरिये सम्मन हमें उक्त प्रार्थना पत्र के बारे में जानकारी हुई, जिस पर हम विपक्षीगण अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश होने एवं कानूनी जानकारी से अनभिज्ञ होने से अधिवक्ता से कानूनी सलाह ली तो हमें जानकारी हुई कि वर्ष 1997 में आराजी नम्बर 4658, 4659, 4660, 4661 शामलाती थी जिसमें तत्कालीन समय के खातेदार सुखलाल पिता रूपा जी, रामी बेवा गमेरा, धुली पुत्री गमेरा एवं गोवर्धन पिता भेरा जी जणवा ने एक बंटवाडे का वाद उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें पूर्व खातेदार भगवान पिता देव जी, नारायण पिता गोकल जी को विपक्षी बनाते हुए प्रस्तुत किया तथा दिनांक 27.10.1997 को मनामाफिक तरीके से उक्त भूमि का बंटवाडा अवैध रूप से करवा दिया और हम विपक्षीगणों का नाम व हमारे पूर्व खातेदारों का नाम आराजी संख्या 4658, 4659, 4660 से हटा दिया तथा आराजी संख्या 4661 को अलग कर दिया तथा आराजी संख्या 4661 रकबा 18 बिस्वा बंटवाडा फहरिश्त में बांट दिया व आराजी संख्या 4661 रकबा 18 बिस्वा को वरदीबाई पत्नी तोलीराम जणवा एवं चतरभुज की पुत्री कंवरीबाई जणवा के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कर दिया। इस तरह बिना किसी न्यायालय आदेश के राजस्व कर्मचारियों ने पूर्व खातेदारों से मिली भगत कर हम विपक्षीगणों की क्रयशुदा 8 बिस्वा भूमि को खातेदारी हक से समाप्त कर दिया जबकि हम विपक्षीगण हमारे पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर उक्त वादग्रस्त भूमि में करीब 26 बिस्वा भूमि पर कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे हैं। हम विपक्षीगणों ने आराजी संख्या 4658, 4659, 4660, 4661 को संयुक्त रूप से खाते में दर्ज होने के समय पूर्व खातेदार के 1/8–1/8 हिस्से को विक्रय राशि का भुगतान करते हुए खरीदा था। प्रार्थी को बिना किसी न्यायालय आदेश के हमारी भूमि को हडपने का कोई अधिकार नहीं बनता है, प्रार्थी केवल राजस्व जमाबन्दी में अपने नाम पर गलत दर्ज होने का फायदा उठाते हुए हमें हमारी जमीन से बेदखल करने हेतु उक्त मिथ्या वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज किये जाने योग्य है। प्रार्थी का कोई सही दृष्टया मामला नहीं बनता हैं। केवल

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested

मात्र गलत इन्द्राज के आधार पर प्रार्थी हम विपक्षीगणों को हमारी क्रयशुदा भूमि से जबरन बेदखल करने पर उतारू हो रहे है जबकि हम विपक्षीगणों को राजस्व जमाबन्दीयों में हुए गलत इन्द्राज की जानकारी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद के सम्मन प्राप्त होने से हुई है जिस हेतु हम विपक्षीगण द्वारा अपने जवाबदावें के साथ काउन्टर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। हम विपक्षीगण विक्रय पत्र दिनांक 16.10.1996 एवं दिनांक 17.06.1995के आधार पर आराजी संख्या 4658, 4659, 4660, 4661 में हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकार से घोषित करवाने के अधिकारी है तथा वर्तमान में राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से हमारे द्वारा खरीदी हुई भूमि का रकबा कम करने के साथ–साथ हमारे द्वारा खरीदशुदा भूमि आराजी संख्या 4658, 4659, 4660 में भी हमारा नाम हिस्से अनुसार दर्ज होने से वंचित रह गया है तथा उक्त दोनों विक्रय पत्र वर्तमान में अपने अस्तित्व में होने तथा आराजी संख्या 4658, 4659, 4660, 4661 के सम्बन्ध में किसी भी तरह का आदेश जो हम विपक्षीगणों को बिना सूचित किये आदेशित हुआ है वों हमारे हक व अधिकारों के मुकाबले शून्य एवं बेअसर होने से खारिज होने योग्य हैं। हम विपक्षीगणों का नाम हिस्से अनुसार दर्ज नहीं होने से प्रार्थी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की आड में हम विपक्षीगणों को हमारी खरीदशुदा भूमि से जबरन बेदखल करने पर उतारू है जिसका प्रार्थी अथवा अन्य किसी को हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

7. यह कि प्रार्थी द्वारा वर्णित वाद कारण दिनांक को कोई प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न नहीं हुआ जबकि प्रार्थी केवल मात्र राजस्व जमाबन्दीयों में गलत इन्द्राज होने की वजह से नाजायज फायदा उठा कर बिना किसी दस्तावेज के वाद कारण उत्पन्न कर उक्त वाद प्रस्तुत किया है जो खारिज होने योग्य हैं।

8. **काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया** कि मौजा चायलों का खेडा पटवार हल्का ईण्टाली तहसील मावली में स्थित आराजी नम्बर 4658, 4659, 4660, 4661 किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा जमीन पूर्व में भगवानलाल जणवा, नारायण पिता गोकल के नाम पर 1/8–1/8 हिस्से से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज थी तथा भगवानलाल की मृत्यु के उपरान्त उक्त भूमि लोगर पिता भगवान जी जणवा एवं गंगाबाई जणवा के नाम पर विरासत से दर्ज हुई हैं। उक्त आराजीयात के राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में सम्वत् 2035 व उससे आगे की जमाबन्दीयों के अनुसार पूर्व में उक्त वादग्रस्त आराजीयात के मूल खसरा नम्बर 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 469 किता 11 कुल रकबा 9 बिस्वा जमीन स्थित थी। उक्त जमीन पूर्व में सवा पिता पेमा भील के नाम पर 1/4 हिस्सा रामा पिता डुंगा के नाम 1/2 हिस्सा, रता, पुरा पिता कमला जी के नाम पर 1/4 हिस्सा खातेदारी हक से दर्ज थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested

9. यह कि उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं है केवल मात्र राजस्व जमाबन्दी में नाम दर्ज होने के आधार पर हम विपक्षीगणों को हमारे हक हिस्से की भूमि से जबरन बेदखल करने की नियत से उक्त प्रार्थना पत्र मिथ्या प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया हैं। आराजी नम्बर 4660 में प्रार्थी का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि वर्ष 1995 एवं 1996 में संयुक्त खातेदारी हक से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अन्य खातेदारों के नाम पर हिस्से अनुसार दर्ज थी तत्कालीन खातेदार लोगर पिता भगवान जी एवं गंगा बेवा भगवान जी जाति जणवा निवासी ईण्टाली के नाम पर 1/8 वें हिस्से से राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी। दिनांक 16.10.1996 को लोगर पिता भगवान जी एवं मु. गंगा बेवा भगवान जी जणवा ने 13,000/—रूपये नकद लेकर अपनी शामलाती खातेदारी की जमीन आराजी संख्या 4658, 4659, 4660 एवं 4661 किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से अपने 1/8 हिस्से का बिकाव जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से चतरभुज पिता नंदा जी जणवा के नाम पर निष्पादित किया था, इस तरह उक्त विक्रय पत्र के आधार पर चतरभुज पिता नंदा जी जणवा उपरोक्त आराजीयात में से करीब पोने 13 बिस्वा जमीन में स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी हो गये थे, इसी तरह दिनांक 17.06.1995 को नारायण पिता गोकल जी जणवा ने उक्त वादग्रस्त भूमि आराजी नम्बर 4658, 4659, 4660, 4661 में अपना 1/8 वां हिस्सा भूरालाल पिता तोलीराम एवं कंवरी पत्नी गोतमलाल जी जणवा को 9000/— रूपये में विक्रय कर दी तब से इस विक्रय पत्र के आधार पर भूरालाल पिता तोलीराम एवं कंवरी पत्नी गोतमलाल जी जणवा पोने 13 बिस्वा भूमि के स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी हो गये है तथा कंवरी पत्नी गोतमलाल एवं भूरालाल पिता तोलीराम एवं चतरभुज पिता नंदा जी जणवा तीनों ही 26 बिस्वा भूमि के खातेदार हो गये थे, इसी तरह कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे थे तथा वर्तमान में हमारी जमीन पर हम कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे है इसमें किसी भी अन्य व्यक्ति का कब्जा काश्त नहीं था तथा कालान्तर में चतरभुज पिता नंदा जी की मृत्यु होने से उक्त भूमि चतरभुज की एक मात्र पुत्री कंवरीबाई पत्नी गोतमलाल जी जणवा के नाम पर दर्ज हुई है तथा कंवरीबाई ने अपने पिता जी से प्राप्त सम्पूर्ण भूमि को विपक्षी संख्या 2 गोतमलाल पिता नारायण जी जणवा के पक्ष में पंजीयन करवा दिया। इसी तरह लोगर एवं उनकी माता से क्रयशुदा भूमि जो की वरदीबाई पत्नी तोलीराम एवं भूरालाल पिता तोलीराम जी जणवा ने खरीदी थी, वरदीबाई की मृत्यु के उपरान्त सम्पूर्ण जमीन विरासत से भूरालाल पिता तोलीराम जी के नाम पर दर्ज हुई, जिस कारण उपरोक्त दोनों विक्रय पत्रों से जो 26 बिस्वा भूमि का हस्तान्तरण भूरालाल पिता तोलीराम एवं बाई पत्नी तोलीराम एवं चतरभुज पिता

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested

नंदराम जी ने किया था वों जमीन वर्तमान में चतरभुज एवं वरदीबाई की मृत्यु होने से हम विपक्षीगण के अधिकार आधिपत्य में चली आ रही हैं।

10. यह कि प्रार्थी का हम विपक्षीगण की कब्जे काश्त की जमीन पर कानूनन कोई हक व अधिकार नहीं बनता है तथा हम विपक्षीगण विक्रय पत्र की दिनांक 16.10.1996 तथा दिनांक 17.06.1995 से उक्त विक्रय पत्रों में वर्णित आराजीयात 4658, 4659, 4660, 4661 में कब्जे अनुसार स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी हो गये है तथा दोनों विक्रय पत्रों को मिला कर हम विपक्षीगणों का उक्त वादग्रस्त आराजीयात में 26 बिस्वा भूमि पर स्वामित्व एवं आधिपत्यधारी हो गये है तथा प्रार्थी के द्वारा उक्त वाद आप न्यायालय में प्रस्तुत करने के उपरान्त जरिये सम्मन हमें उक्त वाद के बारे में जानकारी हुई, जिस पर हम विपक्षीगण अनपढ एवं ग्रामीण परिवेश के होने एवं कानूनी जानकारी से अनभिज्ञ होने से अधिवक्ता से कानूनी सलाह ली तो हमें जानकारी हुई कि वर्ष 1997 में 4658, 4659, 4660, 4661 शामलाती थी जिसमें तत्कालीन समय के खातेदार सुखलाल पिता रूपा जी, रामी बेवा गमेरा, धुली पुत्री गमेरा एवं गोवर्धन पिता भेरा जी जणवा ने एक बंटवाडे का वाद उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर के समक्ष प्रस्तुत किया जिसमें पूर्व खातेदार भगवान पिता देव जी, नारायण पिता गोकल जी को विपक्षी बनाते हुए प्रस्तुत किया तथा दिनांक 27.10.1997 को मनमाफिक तरीके से उक्त भूमि का बंटवाडा अवैध रूप से करवा दिया और हम विपक्षीगणों का नाम व हमारे पूर्व खातेदारों का नाम आराजी संख्या 4658, 4659, 4660 से हटा दिया तथा आराजी संख्या 4661 को अलग कर दिया तथा आराजी संख्या 4661 का रकबा 18 बिस्वा को वरदीबाई पत्नी तोलीराम जी जणवा एवं चतरभुज की पुत्री कंवरीबाई जणवा के नाम पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज कर दिया। इस तरह बिना किसी न्यायालय आदेश के राजस्व कर्मचारियों ने पूर्व खातेदारों से मिली भगत कर हम विपक्षीगणों की क्रयशुदा 8 बिस्वा भूमि को खातेदारी हक से समाप्त कर दिया जबकि हम विपक्षीगण हमारे पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र के आधार पर उक्त वादग्रस्त भूमि में करीब 26 बिस्वा भूमि पर कब्जे काश्त होकर खेती करते आ रहे हैं। हम विपक्षीगणों ने आराजी संख्या 4658, 4659, 4660, 4661 को संयुक्त रूप से खाते में दर्ज होने के समय पूर्व खातेदार के 1/8–1/8 हिस्से को विक्रय राशि का भुगतान करते हुए खरीदा था। प्रार्थी को बिना किसी न्यायालय आदेश के हमारी भूमि हडपने का कोई अधिकार नहीं बनता है, प्रार्थी केवल राजस्व जमाबन्दीयों में भूमि अपने नाम पर गलत दर्ज होने का फायदा उठाते हुए हमें हमारी जमीन से बेदखल करने पर उतारू हो रहे है जबकि हम विपक्षीगणों को राजस्व जमाबन्दीयों में हुए गलत इन्द्राज की जानकारी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद के सम्मन प्राप्त होने पर हुई तथा हम विपक्षीगण विक्रय पत्र दिनांक 16.10.1996 एवं दिनांक 17.06.1995 के आधार पर आराजी संख्या 4658, 4659, 4660,

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested

4661 में हिस्से अनुसार खातेदारी अधिकार से घोषित करवाने के अधिकारी है तथा वर्तमान में राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से हमारे द्वारा खरीदी हुई भूमि का रकबा कम करने के साथ–साथ हमारे द्वारा खरीदशुदा भूमि आराजी संख्या 4658, 4659, 4660 में भी हमारा नाम हिस्से अनुसार दर्ज होने से वंचित रह गया है तथा उक्त दोनों विक्रय पत्र वर्तमान में अपने अस्तित्व में होने तथा आराजी संख्या 4658, 4659, 4660, 4661 के सम्बन्ध में किसी भी तरह का आदेश जो हम विपक्षीगणों को बिना सूचित किये आदेशित हुआ है वो हमारे हक व अधिकारों के मुकाबले शून्य एवं बेअसर होने से खारिज होने योग्य है। हम विपक्षीगणों का नाम हिस्से अनुसार दर्ज नहीं होने से प्रार्थी हम विपक्षीगणों को हमारी खरीदशुदा भूमि से जबरन बेदखल करने पर उतारू है जिसका प्रार्थी अथवा अन्य किसी को हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

11. यह कि प्रार्थी अथवा अन्य किसी को हम विपक्षीगण की खरीदशुदा आराजीयात में किसी भी तरह से हस्तक्षेप करने एवं नया कच्चा पक्का निर्माण करने व उक्त भूमि को हस्तान्तरित करने का अधिकार नहीं है इसके बावजूद भी प्रार्थी जबरन ताकत के बल पर वादग्रस्त आराजीयात में नया निर्माण कार्य एवं उक्त भूमि को रहन, बैह, बक्षीस एवं अन्य तरीके से हस्तान्तरित कर हम विपक्षीगण को हमारी खरीदशुदा भूमि से जबरन बेदखल करने पर आमादा है जिसका प्रार्थी अथवा अन्य किसी को हक व अधिकार प्राप्त नहीं हैं। प्रार्थी को इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद करवाने का अधिकारी हूं कि प्रार्थी हम विपक्षीगण की खरीदशुदा भूमि में खुर्द बुर्द व किसी भी तरह हस्तान्तरण नहीं करने, न ही किसी भी तरह से हमारी खरीदशुदा भूमि में कोईदखलन्दाजी करें, हम विपक्षीगणों को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे व मौके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

12. यह कि हम विपक्षीगण का प्रथम दृष्टया प्रकरण है चूंकि वादग्रस्त आराजीयात में हमारे द्वारा खरीदशुदा भूमि हम विपक्षीगण के अधिकार आधिपत्य में चली आ रही है तथा विपक्षीगणों के विक्रय पत्र भी वर्तमान में अस्तित्व में है जिससे सुविधा संतुलन हम विपक्षीगण के पक्ष में है जिससे उक्त वर्णित आराजीयात हम विपक्षीगण अपने नाम हिस्से अनुसार राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज करवाने के अधिकारी हैं। काउन्टर प्रार्थना पत्र कारण प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद के सम्मन हम विपक्षीगण को प्राप्त होने पर काउन्टर प्रार्थना पत्र कारण उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कर पाबंद किया जावे कि प्रार्थी एवं अन्य व्यक्ति को पाबंद करवाने के अधिकारी है कि प्रार्थी उक्त वादग्रस्त भूमि में खुर्द बुर्द व किसी भी तरह हस्तान्तरण नहीं करने, न ही किसी भी तरह से हमारे हिस्से की भूमि में कोई दखलन्दाजी करें, प्रार्थी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे, मौके व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested

13. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षीगणद्वाराअपनी बहस में जवाब एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

14. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया।राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है:–

1. *प्रथम दृष्टया मामला*–प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थी के नाम स्वतन्त्र रूप से राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थी का कथन है कि विपक्षीगण वादग्रस्त आराजीयात के पडौसी खातेदार होने से विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि में दखलन्दाजी करते है इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हैं। विपक्षीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि पर प्रार्थी का कोई हक अधिकार निहित नहीं है वादग्रस्त भूमि को विपक्षीगण द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई थी, प्रार्थी स्वयं विपक्षीगण को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने पर आमादा है इसलिए प्रार्थी को जरिये काउन्टर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक हैं।

उक्त तथ्यों के सम्बन्ध में तहसीलदार मावली से रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मावली द्वारा पत्रांक 2040 दिनांक 17.12.2025 से रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि मौजा चायलो का खेडा पटवार हल्का ईण्टाली के आराजी नम्बर 4660 रकबा 0.1862 हेक्टेयर भूमि वर्तमान जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 अनुसार सुखलाल पिता रूपा जणवा के नाम दर्ज रेकार्ड हैं। नामान्तरकरण संख्या 145 से सामलाती आराजी नम्बर 4658, 4659, 4660, 4661 किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा भूमि में से खातेदार नारायण पिता गोकल जणवा ने 1/8 वां हिस्सा भूरालाल पिता तोलीराम, कंवरीबाई पत्नी गौतम जणवा के नाम बेचान किया गया। नामान्तरकरण संख्या 172 अनुसार उक्त 4658, 4659, 4660, 4661 किता 4 कुल रकबा 5 बीघा 2 बिस्वा लोगर पिता भगवान मु. गंगा बेवा भगवान जणवा 1/8 वां हिस्सा चतरभुज पिता नंदा जणवा को बेचान कर दिया गया। नामान्तरकरण संख्या 171 से भूरालाल पिता तोलीराम, कंवरीबाई पत्नी गौतम जणवा ने 1/8 वां हिस्सा पुनः वरदीबाई पत्नी तोलीराम जणवा को बेचान किया जो विक्रेता की मां हैं। वरदीबाई पत्नी तोलीराम जणवा एवं चतरभुज पिता नंदा जणवा के नाम कुल 1 बीघा 5.5 बिस्वा भूमि दर्ज रिकार्ड हो गई, तत्पश्चात् दिनांक [illegible]0.17 को उपजिला कलक्टर वल्लभनगर से डिक्री बंटवाडा किया गया उसमें वरदीबाई पत्नी तोलीराम एवं चतरभुज पिता नंदा को

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 16:51:25 IST
Reason: SelfAttested

आराजी नम्बर 4661 रकबा 18 बिस्वा दिया गया जो कि दर्ज रिकार्ड 1 बीघा 5.5 बिस्वा था एवं सुखलाल पिता रूपा जणवा के रिकार्ड अनुसार 12.5 बिस्वा होना चाहिए लेकिन बंटवाडे में आराजी नम्बर 4660 रकबा 1.03 बीघा दे दिया गया है जबकि खातेदार चतरभुज पिता नन्दा एवं वरदीबाई पत्नी तोलीराम अपनी रजिस्ट्री अनुसार कब्जे पर काबिज है व सुखलाल पिता रूपा भी पूर्व राजस्व रिकार्ड में दर्ज रकबा 12.5 बिस्वा अनुसार ही वर्तमान में काबिज है लेकिन डिक्री बंटवाडे में रकबा कम व ज्यादा होने के कारण वर्तमान राजस्व रेकार्ड में चतरभुज पिता नन्दा, वरदीबाई पत्नी तोलीराम के वारिसान के नाम रिकार्ड में 7.5 बिस्वा भूमि कम हो गई तथा सुखलाल पिता रूपा के बंटवाडा होने के कारण 12.5 बिस्वा के बजाय 1.03 बीघा हो गई। अतः खातेदार वर्तमान राजस्व रिकार्ड को आधार मान कर नपती करवाना चाहता हैं। माननीय न्यायालय उप जिला कलक्टर वल्लभनगर के डिक्री बंटवाडा होने से पूर्व वादी एवं प्रतिवादी दोनो हिस्से अनुसार सही काबिज है लेकिन उप जिला कलक्टर वल्लभनगर द्वारा डिक्री में खातेदारों को रकबा कम व ज्यादा देने के कारण वर्तमान रेकार्ड देखने पर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई हैं।

प्रकरण में तहसीलदार मावली से वादग्रस्त भूमि की नपती कर पुनः मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। तहसीलदार मावली द्वारा पत्रांक 133 दिनांक 04.02.2026 से रिपोर्ट पेश कर निवेदन किया कि मौजा चायलो का खेडा की आराजी नम्बर 4660 रकबा 0.1862 हेक्टेयर की नपती की गई। वादी के आराजी के उत्तर दिशा में पडौसी भूरालाल पिता तोलीराम, गौतमलाल पिता नारायण लाल जणवा निवासी चायलों का खेडा का 0.0607 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा, दक्षिण दिशा में पडौसी खातेदार नानालाल पिता उदयलाल रकबा 0.0393 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा हैं। इस प्रकार वादी के रिकार्डेड भूमि 0.1862 हेक्टेयर की तुलना में वादी का 0.0862 हेक्टेयर भूमि पर ही कब्जा हैं। विपक्षी खातेदार भूरालाल पिता तोलीराम, गौतमलाल पिता नारायणलाल जणवा निवासी चायलों का खेडा के आराजी नम्बर 4661 रकबा 0.1457 हेक्टेयर भूमि वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज रिकार्ड है जबकि 0.2064 हेक्टेयर भूमि पर काबिज है तथा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार 0.2064 हेक्टेयर भूमि क्रय की गई हैं। मौके पर विपक्षी खातेदार भूरालाल एवं गौतमलाल द्वारा अपने कब्जे वाली भूमि पर ही निर्माण किया जा रहा हैं। विपक्षी खातेदार भूरालाल पिता तोलीराम, गौतमलाल पिता नारायण की रजिस्टर्ड विक्रय पत्र एवं कब्जे की तुलना में 0.0607 हेक्टेयर भूमि माननीय न्यायालय वल्लभनगर (उपखण्ड अधिकारी महोदय) से डिक्री बंटवारे में कम कर दी गई हैं। उक्त डिक्री बंटवारे की श्रीमान आर.ए.ए. महोदय उदयपुर प्रकरण संख्या 14/26 के तहत् [illegible] भी कर दी गई हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि पर उभय पक्षकारान बंटवाडे से पूर्व के रकबे अनुसार मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। विपक्षीगण द्वारा पूर्व के खातेदार नारायण पिता गोकल जणवा के 1/8 वें हिस्से को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय किया था। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अनुसार क्रय कर मौके पर काबिज हुए। इसी दौरान वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में एक बंटवाडे का वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वल्लभनगर में विचाराधीन था जिसमें क्रेता/विपक्षीगण पक्षकार नहीं थे। इस कारण बंटवाडे के वाद में विभाजन प्रस्ताव में भूमि कम दर्ज कर देने से विपक्षीगण के नाम भी भूमि कम दर्ज हो गई।

न्यायालय का मानना है कि विपक्षीगण के नाम वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज हुई हैं अर्थात् विपक्षीगण की उक्त भूमि मौरूसी भूमि नहीं होकर क्रय की गई भूमि हैं जिसका पूर्ण प्रतिफल पूर्व के खातेदार को अदा किया गया था। तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार भी विपक्षीगण रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में दर्ज रकबे अनुसार ही मौके पर काबिज हैं, इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि विपक्षीगण द्वारा जितनी भूमि का क्रय किया गया है उसी पर काबिज हैं अर्थात् रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई भूमि से अधिक भूमि पर काबिज नहीं हैं। प्रार्थी केवल मात्र रेकार्ड में अंकन होने से विपक्षीगण को बेदखल करना चाहता है जो कि न्यायोचित नहीं हैं। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्व एवं विपक्षीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के विरूद्ध एवं विपक्षीगण के पक्ष मेंनिर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन*–चूंकि वाद वर्णित भूमि पर उभय पक्षकारान अपने–अपने हिस्सेनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। उभय पक्षकारान एक दूसरे को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराना चाहते है परन्तु उभय पक्षकारान अपने अपने हिस्सेनुसार काबिज होने से यदि किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो इससे उनके साथ कुठाराघात होगा तथा काफी असुविधाओं का सामना करना पडेगा। इसलिए उभय पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं समझते हैं। अतः उपरौक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दू उभय पक्षकारान के विरूद्धनिर्णित किया जाता है।

3. *अपूरणीय क्षति*–चूंकि वाद वर्णित भूमि पर उभय पक्षकारान बंटवाडे से पूर्व दर्ज रकबे अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि में उभय पक्षकारान का ही हित निहित हैं। इसलिए यदि किसी एक पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाए तो इससे उनके हक अधिकारों पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा अपूरणीय क्षति होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपूरणीय क्षति का बिन्दू उभय पक्षकारान के विरूद्धनिर्णित किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर स्पष्ट है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दू एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू उभय पक्षकारान के विरूद्व साबित हुए हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। ऐसे में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के खारिज योग्य पाये जाते हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का एवं विपक्षीगण का काउन्टर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज किये जाते हैं।पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा हटाई जाती हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(FT)मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2026.04.16 15:51:25 IST
Reason: SelfAttested